भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न सं. \*60

जिसका उत्तर शुक्रवार, 14 दिसम्बर, 2018 को दिया जाना है

**विधिक सहायता को वहनीय बनाया जाना**

**\*60 डा. के.वी.पी. रामचन्द्र राव :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जनता की इस आम धारणा पर विचार किया है कि भारतीय विधिक व्यवस्था महंगी और विलंबकारी है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार ने देश में विधिक सहायता को वहनीय और त्वरित बनाये जाने की दिशा में कोई कार्यनीति बनायी है ; और

(ग) क्या सरकार की विधिक प्रक्रिया को सरल बनाये जाने तथा लोगों में विधिक साक्षरता को बढ़ाये जाने की कोई योजना है ?

**उत्तर**

**विधि और न्याय तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद)**

**(क) से (ग) :** एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

**राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या \*60 जिसका उत्तर तारीख 14 दिसंबर 2018 को दिया जाना है, के भाग (क) से (ग) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण**

**(क)** **:** सरकार, भारत के संविधान की उद्देशिका और अनुच्‍छेद 39क के आदेश के लिए प्रतिबद्ध है कि विधिक प्रणाली समान अवसर के आधार पर न्‍याय को प्रोन्‍नत करती है । सरकार, इसलिए, न्‍याय तक पहुंच में सुधार के लिए मामले के त्वरित निपटान और लंबित मामलों में कमी करने के लिए प्रतिबद्ध है । सरकार ने न्‍यायपालिका द्वारा मामलों के शीघ्र निपटान के लिए इको प्रणाली प्रदान करने के लिए विभिन्‍न उपक्रम किए हैं । सरकार द्वारा स्‍थापित न्‍याय प्रदान करने और विधिक सुधारों के लिए राष्‍ट्रीय मिशन में विभिन्‍न सामरिक उपक्रम जिसके अंतर्गत जिला और अधीनस्‍थ न्‍यायालयों के न्‍यायिक अधिकारियों के लिए अवसंरचना में सुधार करना, बेहतर न्‍याय प्रदान करने के लिए लाभदायक सूचना और संसूचना प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का लाभ उठाना, उच्‍च न्‍यायालयों और उच्‍चतम न्‍यायालय में न्‍यायमूर्तियों की रिक्‍त संख्‍या को भरना, बकाया समिति के माध्‍यम से लंबित मामलों में कमी करना, वैकल्‍पिक विवाद समाधान (एडीआर) पर जोर देना, विशिष्‍ट प्रकार के मामलों के लिए फास्‍ट ट्रैक प्रारंभ करना भी है, के माध्‍यम से न्‍यायिक प्रशासन में बकाया और लंबित मामलों के चरणबद्ध समापन के लिए एक समन्‍वित पहुंच अंगीकार की हैं ।

**(ख)** **:** विधिक सहायता को वहन करने योग्‍य और त्‍वरित बनाने के क्रम में, सरकार ने राष्‍ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अधीन गठित राष्‍ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नाल्‍सा) को 2014-18 (नवंबर तक) के दौरान 394 करोड़ रुपये के अभी तक की उच्‍चतम निधियां प्रदान करके मजबूत किया है । नाल्‍सा ने तालुक न्‍यायालय, जिला न्‍यायालय और राज्‍य स्‍तरों पर विधिक सेवा संस्‍थाएं स्‍थापित की है इन विधिक सेवा संस्‍थाओं से अलग, उच्‍च न्‍यायालय विधिक सेवा समितियाँ, सभी उच्‍च न्‍यायालयों में गठित की जाती है और उच्‍चतम न्‍यायालय स्‍तर पर विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 12 के अधीन पात्र व्‍यक्‍तियों को मुफ्त विधिक सेवाएं प्रदान करने के लिए उच्‍चतम न्‍यायालय स्‍तर पर उच्‍चतम न्‍यायालय विधिक सेवा समिति गठित की गई है । मुफ्त विधिक सेवाओं में न्‍यायालय फीस का संदाय, अधिवक्‍ता उपलब्ध करना और पेपर बुक को तैयार करना सम्मिलित है । नाल्सा ने राष्‍ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (मुफ्त और सक्षम विधिक सेवा) विनियम, 2010 अधिसूचित किया है । उक्‍त विनियम गरीब और कमजोर वर्ग के व्‍यक्‍तियों जैसे एससी/एसटी के सदस्य, महिलाओं और बालकों के लिए हकदारी का उपबंध करता है । विधिक सेवा संस्‍थाओं द्वारा पात्र व्‍यक्‍तियों की ओर से न्यायालय मामलों में अभियोजन और प्रतिरक्षा करने के लिए सभी स्‍तरों पर 60,000 पैनल अधिवक्‍ता विधिक सेवा मामलों के लिए नियुक्‍त किए गए हैं । देश में 31 मार्च, 2018 तक 20,925 विधिक सहायता के क्‍लीनिक स्‍थापित किए गए हैं । सितंबर, 2018 तक 15, 414 ग्राम विधिक देख-रेख और सहायता केंद्र स्‍थापित किए गए हैं । विधिक सेवा संस्‍थाओं के संबंध में जागरुकता फैलाने और जनता को शिक्षित करने, विशेषकर जो समाज के कमजोर वर्गों से संबंध रखते हैं, उन्हें विधि के अधीन उनके अधिकारों के लिए जागरुक बनाने के लिए 65 हजार से ज्‍यादा पैरा-विधिक और स्‍वयं सेवक (पीएलईएस), विधिक सेवा क्‍लीनिकों में नियोजित किए गए हैं । तदनुसार, 8,22,856 व्‍यक्‍ति वर्ष 2017-18 और 9,19,237 व्‍यक्‍ति वर्ष 2018-19 (सिंतबर, 2018 तक) विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अधीन विधिक सेवा और सलाह के माध्यम से लाभान्‍वित हुए हैं ।

अप्रैल 2017 में, सरकार ने तीन विधिक सशक्‍तीकरण उपक्रम आरंभ किए हैं, टैली-लॉ, प्रोबोनो विधिक सेवाएं और न्‍याय मित्र । देश के 11 राज्‍यों की 1800 ग्राम पंचायतों में टेली विधि स्‍कीम, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 में उल्‍लिखित सीमांत व्‍यक्‍तियों के लिए मुफ्त विधिक सहायता प्रदान करने के लिए आरंभ की गई है । अन्‍य व्‍यक्‍ति मात्र तीस रुपये का संदाय करने पर विधिक सहायता प्राप्‍त कर सकते हैं । 3 दिसंबर, 2018 तक 42,530 मामलों में विधिक सलाह प्रदान की जा चुकी है । प्रोबोनो विधिक सेवाएं स्कीम के अधीन, प्रोबोनो विधिक सेवाएं प्रदान करने के लिए 357 अधिवक्‍ता रजिस्‍ट्रीकृत किए गए हैं । न्‍याय मित्र दस वर्ष से अधिक लंबित मामलों के निपटान में न्यायपालिका की सहायता करने के लिए अपेक्षित हैं । न्‍याय मित्र स्‍कीम के अधीन, 15 न्‍याय मित्र छह राज्‍यों अर्थात् उत्‍तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल, गुजरात, राजस्‍थान, त्रिपुरा में लगे हुए हैं ।

**(ग)** **:** न्‍यायालय मामलों के बारे में सूचना को आसानी से उपलब्‍ध बनाने के क्रम में और मामला आंकडे तक पहुंच प्रदान करने के क्रम में, सरकार, ई न्‍यायालय मिशन मोड़ परियोजना के अधीन आईटीसी समर्थ न्‍यायालयों, ई-फाइलिंग के माध्‍यम से ई-सेवाओं की उपलब्‍धता को मजबूत करके, गेटवेज ई-भुगतान और मोबाइल भुगतान, ई-न्‍यायालय पोर्टल (http://www.ecourts.gov.in) के माध्यम से कम्प्यू्ट्रीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की कार्यवाहियों, प्रास्थिति और निर्णयों को खोजने के लिए ऑनलाइन क्रियाविधि प्रदान करने और क्‍यूआर कोड की सुविधा के साथ ई-न्‍यायालय मोबाइल एप, जो विभिन्‍न अनुशीर्षकों अर्थात् सीएनआर की खोज, मामला प्रास्थिति, वाद सूची और मुवक्किलों और अधिवक्‍ताओं के उपयोग के लिए मेरा मामला, के अधीन सेवाएं प्रदान करता है, के माध्‍यम से ई-न्‍यायालय मिशन मोड परियोजना के अधीन न्‍याय प्रदाता सेवा को सुधारने पर ध्‍यान केंद्रित कर रही है । वर्तमान में मुवक्किल 10.80 करोड़ मामलों और 7.91 करोड़ आदेशों/निर्णयों के संबंध में मामला प्रास्‍थिति सूचना तक पहुंच सकते हैं । राष्‍ट्रीय सेवा और इलैक्‍ट्रानिक प्रक्रिया की खोज (एनएसटीईपी) 14 अगस्‍त, 2018 को आरंभ की गई है जो वास्‍तविक समय प्रास्‍थिति को अद्यतन करने और समनों को खोजने को समर्थ बनाती है ।

विधिक साक्षरता में वृद्धि के क्रम में, नालसा ग्रामों, सामुदायिक केंद्रों में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अधीन मुफ्त विधिक सहायता की उपलब्‍धता के बारे में उन्‍हें जागरुक करने के लिए जागरुकता कैंप संचालित करता है । विधिक सहायता संस्‍थाओं द्वारा समाज के सीमांत वर्गों के लाभ के लिए 900 विधिक सेवा कैंप आयोजित किए जा चुके हैं और जनवरी, 2018 से अगस्‍त, 2018 तक की अवधि के दौरान 43 लाख व्‍यक्‍तियों ने लाभ प्राप्‍त किया है । इन कैंपो में, सरकारी विभाग, स्‍वयं सेवी संगठन स्‍टाल लगाने और गरीब और सीमांत व्‍यक्‍तियों को उनकी हकदारी से जोड़ने के लिए अंतवर्लित है । इस अवधि के दौरान, लगभग 3096 विधिक साक्षरता क्‍लब देश के बहुत से विद्यालयों और महाविद्यालयों में खोले गए हैं। वृहद विधिक सहायता कार्यक्रम के लिए घर-घर अभियान भी संचालित किया गया है ।

इसके अतिरिक्‍त, सरकार ने राज्‍य विधिक सेवा प्राधिकरणों और राज्‍य सरकारों के साथ भागीदारी में पूर्वोत्‍तर के 8 राज्यों अर्थात् असम, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, अरूणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्‍किम और जम्‍मू-कश्‍मीर राज्‍य में वर्ष 2012 में न्‍याय परियोजना की पहुंच को क्रियान्‍वित किया है । परियोजना के अधीन, इन राज्‍यों में कईं विधिक सहायता और साक्षरता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहें हैं । सरकार ने यू एन डी पी के साथ भागीदारी में आठ राज्यों अर्थात् उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्‍य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, ओडिशा और महाराष्ट्र में वर्ष 2009 से वर्ष 2017 तक न्याय तक पहुंच पर अन्‍य परियोजना को भी क्रियान्यवित किया है । परियोजना के अधीन, पैनल अधिवक्ताओं, पैरा-विधिक स्वयंसेवियों, ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण प्रारंभ किया गया है ।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*